न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

कालाराम **बनाम** नरेन्द्र

य

104/22 T2

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	डोसबवलाजाता की वापस मुतिकाई। प्रार्थी ने दस्तावेज सूची पेश की। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/1/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर म्० जयपुर	
4/1/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व० क० उपस्थित। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर तौफसल वाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 19, 20, 21 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर म्० जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –104/2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –21.10.2022

कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र हनुमान गुर्जर, आयु 59 वर्ष, जाति – गुर्जर, निवासी– ग्राम नारदपुरा, तहसील आमेर उप तहसील जालसू, हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान ।

बनाम

1. महादेव उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम–नारदपुरा, तहसील – आमेर, जयपुर।
2. बाबूलाल, उम्र 52 वर्ष निवासी – ग्राम–नारदपुरा, तहसील – आमेर, उप तहसील – जालसू, जिला – जयपुर।
3. राजाराम उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम – नारदपुरा, तहसील–आमेर, उप तहसील–जालसू,जिला–जयपुर।
4. बनवारी उम्र 43 वर्ष निवासी – ग्राम–नारदपुरा, तहसील – आमेर, उप तहसील – जालसू, जिला – जयपुर।
5. मन्ना देवी उम्र 55 वर्ष पत्नी बंशीधर, निवासी ग्राम मुण्डोता, तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. भूरी देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी श्री हरफूल निवासी ग्राम हाथनोदा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
7. सुशीला, उम्र 42 वर्ष पत्नी श्री रामस्वरूप निवासी नृपत्यावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ४. पांची देवी उम्र 5 वर्ष पत्नी श्री रामफूल निवासी नृपत्यावस तहसील।
8. जमवारामगढ जिला जयपुर 61 बनाम तहसील – जालसू, जिला – जयपुर –
9. नन्छी देवी उम्र वर्ष पत्नी श्री नन्छूराम निवासी हाथनोदा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

10. जमना उम्र ५० वर्ष पत्नी श्री राजू निवासी इटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।

समस्त पुत्र / पुत्रीया स्व. श्री हनुमान गुर्जर, माता फूली देवी

11. छीतर पुत्र रूघनाथ

12. देवा पुत्र बालू

13. श्योजी पुत्र स्व. भैरू

14. नानू पुत्र स्व. भैरू

15. शैतान पुत्र स्व. भैरू

16. सायर पुत्र स्व. भैरू.

17. फूलचन्द पुत्र स्व. भैरू

18. रामधन पुत्र स्व. रूघनाथ एवं स्व. श्रीमती धापा देवी

समस्त निवासी – ग्राम – नारदपुरा, तहसील – आमेर, उप तहसील–जालसू जिला – जयपुर

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील– आमेर, जिला – जयपुर

20. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील – जालसू, महोदय, जिला – जयपुर

21. उप पंजीयक, आमेर, जिला– जयपुर

22. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू जिला–जयपुर

.... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्र बैसला – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री हेमन्त सोगानी – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से

निर्णय दिनांक 04.01.2023

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त होने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 आपस मे भाई बहिन है जिनमें प्रार्थी की माता मूंगीदेवी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की माता फूली देवी थी जबकि प्रार्थी और अप्रार्थी गण मृतक हनुमान सहाय गुर्जर के जाइदा संतान हैं। यह कि यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राथी मृतक हनुमानसहाय की प्रथम पुत्र संतान है प्रार्थी की माता मूंगीदेवी प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण के पिता हनुमानसहाय की द्वितीय पत्नी थी जिसकी मृत्यु 2017 मे हुई थी प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हनुमानसहाय की प्रथम पत्नी फूली देवी के प्रारंभ मं दो पुत्री संतानें हुई पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थी की माता मूंगीदेवी को समाज के पंच पटेलों के मध्य तथा सामाजिक रीति रिवाजों को देखते हुए चूडा पहनाकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया और आजीवन प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हनुमानसहाय की पत्नी बनकर रही जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हनुमानसहाय के संसर्ग से प्रार्थी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल का जन्म हुआ जो हनुमानसहाय की प्रथम पुत्र संतान है । यह कि इसके उपरान्त प्राथी के पिता द्वारा प्रार्थी की माताजी को विधिवत तलाक दिये बिना साथ रहकर जीवन व्यतीत करता आये । प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की माता फूलीदेवी के संसर्ग से अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 का जन्म हुआ। इस दरमियान प्रार्थी के पिता प्रार्थी एवं उसकी माताजी के साथ [illegible] पर आकर निवास करते आये तथा प्रार्थी एवं उसकी माताजी का [illegible] करते आये । यह कि प्रार्थी के पिता के स्वामित्व की निम्न [illegible] हिस्सा अराजी भूमिया है (1) खाता संख्या 47 नया 44 पुराना मे खसरा [illegible] 210 रकबा 0. 0300 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर [illegible] ग्राम- नारदपुरा, पटवार हल्का – खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील – आमेर, जिला-- जयपुर जिसमें प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र [illegible] का अविभाजित 1 / 4 हक एवं हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं [illegible] [illegible] खाता संख्या 56 नया 51 पुराना में खसरा [illegible]

रकबा 0. 0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम–नारदपुरा, पटवार हल्का दृ खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील– आमेर, जिला – जयपुर जिसमें प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र हरबक्स का अविभाजित 1/2 हक एवं हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है । खाता संख्या 48 नया 45 पुराना में खसरा नम्बर 150 रकबा 0. 0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0700 हैक्टेयर वाके ग्रामदृनारदपुरा, पटवार हल्कादृखन्नीपुरा, भू. अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील – आमेर, जिला – जयपुर जिसमें प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र हरबक्स का अविभाजित 1 / 4 हक एवं हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। – खाता संख्या 162 नया 147 पुराना में खसरा नम्बर 149 रकबा 0. 0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0. 3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1. 1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 221 रकबा 0. 0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 2.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 2.2300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 1.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 1. 7100 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.85 हैक्टेयर, वाके ग्राम–नारदपुरा, पटवार क्षेत्र हल्का – खन्नीपुरा, भू.अ.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील– आमेर, जिला– जयपुर जिसकी सम्पूर्ण काईयालाल की खातेदारी प्रार्थी के पिता हनुमान पुत्र हरबक्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। यह कि प्रार्थी एवं उसकी माताजी समय समय पर अपने पिता के जीवनकाल में उक्त भूमियों में निहित अपने–अपने हक एवं हिस्से की भूमियों का उपयोग एवं उपभोग करते आये है तथा उक्त भूमि में अपने हिस्से अनुसार फसल इत्यादि प्राप्त करते आये हैं तथा उक्त भूमि की सारदृसम्भाल, लगान इत्यादि में होने वाला सम्पूर्ण खर्चा वहन करते आये है। प्रार्थी की माताजी श्रीमती मुंशी देवी का स्वर्गवास दिनांक 2017 को हो गया। प्रार्थी की माताजी श्रीमती मुंशी देवी के स्वर्गवास के समय भी सम्पूर्ण अन्तिम क्रियाक्रम प्रार्थी के पिता द्वारा ही

अपने स्तर पर सम्पन्न करवाये गये थे तथा प्रार्थी की माताजी के स्वर्गवास के उपरान्त प्रार्थी समय समय पर जाकर अपने पिता की सार– सम्भाल, देखभाल करता आया तथा उनकी आवश्यकताओं को अपनी हैसियत अनुसार पूरा करता आया। यह कि प्रार्थी के पिता श्री हनुमान का दिनांक 11.10.2022 को स्वर्गवास हो गया । प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की नियत में फितुर आ गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 द्वारा प्रार्थी को यह जानते–बूझते की प्रार्थी उनके पिता की पहली पत्नि मुंशी देवी की जायन्दा संतान है तथा प्रार्थी का भी उसके स्वर्गवास पिता के प्रति दायित्व बनते है इसके बावजूद भी प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। यह कि प्रार्थी को उसके पिता श्री हनुमान के स्वर्गवास की जानकारी होने पर प्रार्थी जब अप्रार्थीगण के यहां अपने पिता के अन्तिम दर्शणार्थ उपस्थित आया तथा अन्तिम क्रियाक्रमों को सम्पन्न करने लगा तो ऐसी विकट स्थिति में भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा किया तथा प्रार्थी को उसके स्वर्गवासी पिता के स्वामित्व के घर में जो पुश्तैनी सम्पत्ति है में प्रवेश करने से रोक दिया गया। जिस पर प्रार्थी अपने पिता के घर के बाहर बैठकर अपने पिता के प्रति अन्तिम समय के दायित्वों को पूर्ण कर वापस लौटकर आ गया। यह कि प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास को दिनांक 19.10.2022 (उन्नीस अक्टूबर सन् दो हजार बाईस) को 9 (नौ) दिवस पूर्ण होने पर सामाजिक दायित्वों अनुसार प्रार्थी जब नई. के नहान हेतु अपने स्वर्गवासी पिता के घर पहुँचा तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 द्वारा प्रार्थी को घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया तथा प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा एवं गाली–गलौच कर प्रार्थी को भगा दिया गया तथा ऐलानियां धमकियां दी गई कि प्रार्थी का उसके पिता के स्वामित्व की उक्त भूमियों, रिहायशी मकान से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रार्थी के स्वर्गवासी पिता द्वारा छोडी गई भूमि के अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी है तथा साथ ही प्रार्थी को पुनः उनके यहां आने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के कृत्यों से आहत होकर प्रार्थी को उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उनके द्वारा छोडी गई समस्त चल एव अचल सम्पतियों को हड़प कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसको की रूके

कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रार्थी अपने पिता स्व. हनुमान गुर्जर की जायन्दा संतान है तथा प्रार्थी का उसके पिता द्वारा छोडी गई उपरोक्त समस्त भूमियों में अविभाजित 1 / 11 हक एवं हिस्सा निहित चला आ रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने पिता स्व. हनुमान गुर्जर के स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित आराजी भूमियों में निहित अपने अविभाजित हक एवं हिस्से उपरोक्त वर्णितानुसार का जरिये माननीय न्यायालय स्वयं को एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी घोषित करवा पाने का कानूनन अधिकारी हैं। यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त भूमि का विभाजन करवाया जाकर प्रार्थी के हिस्से की भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया जाता आ रहा है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 कोई न कोई बहाना बनाकर प्रार्थी को टालते चले आ रहे है तथा आये दिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ वादग्रस्त भूमि के मौके पर कई अजनबी व्यक्ति आते है जिन्हें अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भूमि को बेचान करने बाबत दिखाता है जिससे प्रार्थी को पूरा अंदेशा है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवाये प्रार्थी के हिस्से की भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित करने पर आमादा है। जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है और यदि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 द्वारा बाला – बाला गुपचुप तरीके से वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से का बैचान अन्य किसी दीगर व्यक्ति के हक में किया भी गया हो तो वह प्रार्थी के हक एवं अधिकारों के मुकाबले कतई अवैध व शून्य है। यह कि दिनांक 20.10.2022 को जब प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 से मिलने तथा पिता के बारह दिवस के कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने गया तथा उसके हिस्से अनुसार राशि प्राप्त कर पिता के बारह दिवस का भव्य कार्यक्रम करने का निवेदन किया गया तथा साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को उसके पिता के स्वामित्व एवं कब्जे–काश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी भूमियों को किसी भी प्रकार से बैचान / हस्तान्तरण करने से मना करते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 जब तक उक्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो जाता तक उक्त भूमियों को किसी भी प्रकार से बेचान / हस्तान्तरण कर खुर्द-बुर्द नहीं करें लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 द्वारा प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की गई [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 अपने साथ कई व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आया

तथा वादग्रस्त भूमि को बैचान करने के ईरादे से दिखाने लगा व बातचीत करने लगा जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने से रोका तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से को अलग किये बिना एवं वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाये बिना भूमि का बैचान करने से इन्कार किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व उसके साथ आये लोगों ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि वे जल्द ही राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि के बाबत अपना नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को बैचान कर जोर जबरन प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेकब्जा करके रहेगा। प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी को जो करना हो सो करले । वाद में अप्रार्थी संख्या 19 व 20 को वादग्रस्त भूमि के सह–हिस्सेदार होने व अप्रार्थी संख्या 19 व 20 को भूमि का लैण्ड होल्डरहो ने की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। जबकि वाद में अप्रार्थी संख्या 19 व 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। यह कि उक्त भूमि के सह– खातेदार अप्रार्थी संख्या भूमि में निहित अपने अविभाजित हक एवं हिस्से को अप्रार्थी संख्या 22 के यहां ऋण प्राप्त कर बंधक किया हुआ है इस कारण अप्रार्थी संख्या 22 को भी उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 आपस में मिलीभगत कर उसके पिता के स्वामित्व की भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाकर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21 को धारा 80 के तहत पृथक से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। नोटिस की छूट प्रदान करने हेतु वाद के साथ पृथक से धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी जरिये माननीय न्यायालय अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 वादग्रस्त सम्पति से प्रार्थी को जोर–जबरन बेकब्जा कर कब्जा दीगर व्यक्तियों को स्थानान्तरित नहीं करें तथा प्रार्थी द्वारा उक्त संयुक्त स्वामित्व की भूमि के किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या मजाहमत पैदा नहीं करें। साथ ही अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष की विधिवत तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 18, 22 बावजुद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 ने दिनांक 25.11.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित है कि प्रार्थी / वादी की सफलता की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। प्रार्थी /वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल ना तो हनुमान गुर्जर का पुत्र है और ना ही वह उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 का और भाई है। श्रीमती मूंगी देवी का ना तो कभी हनुमान पुत्र हरबक्ष से विवाह हुआ ना ही कभी उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान उर्फ हणमान पुत्र हरबक्ष ने किसी मूंगी देवी नाम की औरत को अपने पास रखा जिससे प्रार्थी/वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पैदा हो सकते हो। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत हैं, गलत है तथा उससे इनकार है। प्रार्थी/वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल, ना तो हनुमान उर्फ हणमान पुत्र हरबक्ष का पुत्र है और ना ही मूंगी देवी नाम की कोई औरत कभी उत्तरदाता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान की द्वितीय पत्नी रही जिसकी मृत्यु 2017 में हुई हो। हनुमान पुत्र हरबक्ष की एकमात्र धर्मपत्नी फूली देवी पुत्री हबला थी और उसी से अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 पैदा हुये। प्रार्थी/वादी द्वारा इस मद में अंकित यह कथन कि श्री हनुमानसहाय की धर्मपत्नी श्रीमती फूली देवी से जो दो पुत्री संतान उत्पन्न होने पर तथा कोई पुत्र ना होने के कारण समाज के पंच पटेलों के मध्य तथा सामाजिक रीति–रिवाजों को देखते हुये मूंगी देवी को हनुमान सहाय का चूडा पहनाकर बनकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया हो और वह हनुमान सहाय की पत्नी बनकर रही हो। हनुमान सहाय एवं मूंगी देवी के संसर्ग से प्रार्थी/वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल का पुत्र होने का कथन पूर्णतः गलत व आधारहीन है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में अंकित तथ्य पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। जब उत्तरदाता

अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान का श्रीमती मूंगी देवी से कभी विवाह ही नहीं हुआ तब उसे तलाक देने अथवा ना देने का कभी कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। यह तथ्य स्वीकार है कि हनुमान सहाय के उसकी एकमात्र धर्मपत्नी श्रीमती फूली देवी के संसर्ग से अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 उत्पन्न हुये परन्तु यह कथन पूर्णतः गलत व निराधार है कि अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान सहाय कभी श्रीमती मूंगी देवी के साथ समय-समय पर आकर निवास करता हो अथवा श्रीमती मूंगी देवी का भरण-पोषण किया गया हो। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के उप मद (1) में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 0.03 हैक्टे0 में हनुमान पुत्र हरबक्ष का हिस्सा 1/4, उप मद (2) में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.01 हैक्टे0 व 222 रकबा 0.02 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.03 हैक्टे0 में हनुमान पुत्र हरबक्ष का हिस्सा 1/2, उप मद (3) में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 0.07 हैक्टे0 में हनुमान पुत्र हरबक्ष का हिस्सा 1/4 तथा उप मद (4) में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 149, 154, 158 161, 216, 218, 221, 223, 224 व 226 कुल किता 10 रकबा 6.85 हैक्टे० का हनुमान पुत्र हरबक्ष एकमात्र खातेदार कृषक होने का तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। प्रार्थी / वादी अथवा श्रीमती मूंगी देवी का वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित भूमियों के किसी भी हिस्से का उपयोग व उपभोग करने का तथ्य पूर्णतः गलत व निराधार है। प्रार्थी / वादी अथवा श्रीमती मूंगी देवी ने कभी उपरोक्त वर्णित भूमि की फसल इत्यादि का कोई लाभ कभी प्राप्त नहीं किया और ना ही भूमि की सार-संभाल, लगान इत्यादि में होने वाले खर्चो को वहन किया। जब प्रार्थी / वादी कानाराम अथवा श्रीमती मूंगी देवी के भूमि विवादग्रस्त में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, कब्जा व दखल ही नहीं रहे तब उनका भूमि विवादग्रस्त से किसी भी प्रकार का कोई संबंध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित यह तथ्य कि श्रीमती मूंगी देवी श्रीमती मंशी देवी का वर्ष 2017 में देहान्त हो गया हो, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। परन्तु यह तथ्य पूर्णतः गलत है कि श्रीमती मूंगी देवी का स्वर्गवास होने के समय उसका सम्पूर्ण क्रिया कर्म हनुमान पुत्र हरब द्वारा सम्पन्न कराये गये हो और श्रीमती

भूंगी देवी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी/वादी कभी श्री हनुमान पुत्र हरवक्ष के घर आकर उसकी सार–संभाल अथवा देखभाल इत्यादि की हो । प्रार्थी / वादी ने येनकेन प्रकारेण अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष से अपना संवंध स्थापित करने के उद्देश्य से मनगढन्त व आधारहीन तथ्य अंकित किये हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये हैं, गलत है तथा उससे इनकार है। श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष प्रार्थी/वादी कानाराम के पिता नहीं थे परन्तु यह तथ्य भी स्वीकार है कि हनुमान पुत्र हरबक्ष का दिनांक 11–10–2022 को स्वर्गवास हुआ और चूंकि श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष का कानाराम उर्फ कन्हैयालाल से किसी भी प्रकार का कोई संवंध नहीं था इसलिये उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देने का कोई प्रश्न ही कभी उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 में तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये हैं, पूर्णतः गलत हैं तथा उससे इनकार है। हनुमान पुत्र हरबक्ष का देहान्त हो जाने की सम्पूर्ण ग्रामवासियों को पूर्ण जानकारी रही परन्तु जब हनुमान पुत्र हरबक्ष का प्रार्थी/वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल से कोई संबंध ही नहीं था तब प्रार्थी/ वादी कानाराम का अंतिम दर्शनार्थ उपस्थित होने का अथवा अंतिम क्रिया कर्मों को सम्पन्न कराने की कोई कार्यवाही करने में सहभागी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ और इसलिये उत्तरदाता अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण से कानाराम का कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ। हनुमान पुत्र हरबक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति में कानाराम उर्फ कन्हैयालाल का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार कब्जा व दखल नहीं रहा और ना ही उसने कभी पुश्तैनी सम्पत्ति में प्रवेश करने का प्रयत्न किया जिससे उसे रोका जाना आवश्यक हुआ हो। यह भी पूर्णतः गलत है कि कानाराम, हनुमान पुत्र हरबक्ष के घर के बाहर बैठकर अंतिम समय के दायित्वों को पूर्ण कर वापस लौट गया हो । वास्तव में उसका किसी भी क्रिया कर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 में तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष का दिनांक 11–10–2022 को स्वर्गवास के नौ दिन पश्चात् नयी के नहाण का दस्तूर हुआ परन्तु उसमें प्रार्थी/वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल कभी

आया ही नहीं जिसे घर के बाहर प्रवेश करने से रोके जाने अथवा लड़ाई–झगड़ा अथवा गाली–गलौच किये जाने की कोई कार्यवाही की हो । कानाराम उर्फ कन्हैयालाल ने कभी हनुमान पुत्र हरबक्ष की किसी भी सम्पत्ति पर कोई अधिकार कभी क्लेम ही नहीं किया, जिससे उसे रोके जाने की धमकी देने की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो और ऐसी किसी कार्यवाही से प्रार्थी/वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ हो । विशेष विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 11 में तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये हैं, पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 ने हनुमान पुत्र हरबक्ष द्वारा छोड़ी गई किसी भी चल व अचल सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने की कभी कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थना पत्र पत्र के पैरा संख्या 12 में तथ्य जिस प्रकार से अंकित किये गये हैं, पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। ना तो प्रार्थी/वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल स्व. श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष का जाईन्दा पुत्र है और ना ही उसका हनुमान पुत्र हरबक्ष की खातेदारी की भूमि में अविभाजित 1/11 हिस्से का कोई हक अथवा अधिकार है। हनुमान पुत्र हरबक्ष गुर्जर ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कृषि भूमियों में अपने खातेदारी अधिकारों के संबंध में दिनांक 3 अगस्त, 2009 को एक वसीयतनामा अपने पुत्रों महादेव, बाबूलाल, बनवारी व राजाराम (अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4) के पक्ष में तहरीर कर उक्त वसीयतनामे को उप पंजीयक आमेर के समक्ष पंजीकृत करा दिया, जिसके आधार पर दिनांक 11–10–2022 को हनुमान पुत्र हरबक्ष का स्वर्गवास हो जाने पर उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही उपरोक्त वर्णित भूमि में हनुमान पुत्र हरबक्ष के एकमात्र उत्तराधिकारी एवं खातेदार कृषक हुये। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को हनुमान पुत्र हरबक्ष के उत्तराधिकार में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार ना तो प्राप्त हुये और ना ही प्राप्त हो सकते हैं । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 13 में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है। प्रार्थी / वादी कानाराम का जब हनुमान पुत्र हरबक्ष से अथवा भूमि विवादग्रस्त से किसी भी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है तब उसके द्वारा अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 से भूमि विवादग्रस्त का विभाजन कराकर उसे उसका तथाकथित हिस्सा दिये जाने की कभी कोई

बात उत्पन्न ही नहीं हुई जिसे अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा बहाना बनाकर टाले जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो । भूमि विवादग्रस्त पर उत्तरदाता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही निरन्तर काबिज रहकर उसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। यद्यपि उत्तरदाता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की कोई भावना उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने की नहीं है परन्तु उन्हें उक्त भूमि में वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो एक खातेदार कृषक को प्राप्त होते हैं। यद्यपि उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की कोई योजना भूमि विवादग्रस्त को हस्तांतरित करने की नहीं है परन्तु यदि कोई हस्तांतरण किया भी गया हो तो भी उससे प्रार्थी / वादी कानाराम के हक व अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भूमि विवादग्रस्त कोई हिस्सा व अधिकार ही नहीं है। विशेष विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 14 में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत है तथा उससे इनकार है । प्रार्थी / वादी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल ना तो दिनांक 20-10-2022 को अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 से मिलने अथवा हनुमान पुत्र हरबक्ष के 12 दिवस के कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी करने आया और ना ही उसने 12 दिवस के कार्यक्रम को भव्यता प्रदान किये जाने के संबंध में कभी कोई वार्ता की। जब प्रार्थी/वादी कानाराम का हनुमान पुत्र हरबक्ष के परिवार से कोई संबंध ही नहीं है तब उसका किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं रहा । प्रार्थी/वादी को भूमि विवादग्रस्त का तकासमा कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 15 में वर्णित तथ्य पूर्णतः मनगढन्त व आधारहीन है तथा उससे इनकार है। अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 कभी किन्हीं अन्य व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादगरत पर नहीं आया और ना ही भूमि विवादग्रस्त को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को भूमि विवादग्रस्त दिखाने की अथवा बातचीत करने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, इसलिये वादी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को किसी कार्य से रोके जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। जब प्रार्थी/वादी भूमि विवादग्रस्त का सहकृपक ही नहीं है तब उसे भूमि विवादग्रस्त का मौके एण्ड [illegible] के आधार पर विभाजन कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी/वादी ने ना

तो कभी उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 से भूमि विवादग्रस्त में कोई हिस्सा कभी मांगा ही नहीं जिससे इनकार करने की कोई स्थिति उत्पन्न हुई हो । अन्यथा भी भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक उत्तरदाता अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही है किसी अन्य व्यक्ति हनुमान पुत्र हरबक्ष के उत्तराधिकार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थना पत्र / वाद पत्र में अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 19 के क्रम में रामधन पुत्र स्व. रूघनाथ एवं राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है इसलिये तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं होती। भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक मात्र अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही है इसलिये उन्हें उक्त भूमि विवादग्रस्त में खातेदार कृषक के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी / वादी का भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी एवं कब्जे काश्त से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है इसलिये उसे भूमि विवादग्रस्त के संबंध में अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अथवा अप्रार्थी / प्रतिवादी सख्या 19, 20 व 21 के विरूद्ध किसी की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 19 से इनकार है । प्रार्थी / वादी के पक्ष में ना तो कोई प्रथम दृष्टावाद है और ना ही सुविधा का संतुलन ही प्रार्थी /वादी के पक्ष में है। यह कि ग्राम नारदपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 210 रकबा 0. 03 हैक्टे0 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पिता श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष का हिस्सा 1/4, खाता संख्या 56 खसरा नम्बर 153 रकबा 0.04 हैक्टे0 व 222 रकबा 0.02 कल किता 2 रकबा 0.03 में हनुमान पुत्र हरबक्ष का हिस्सा 1/2, खाता संख्या 48 खसरा नम्बर 150 रकबा 0.07 हैक्टे0 गैर मुमकिन चाह में हनुमान पुत्र हरबक्ष का हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 162 खसरा नम्बर 149, 154, 158, 161216, 218, 221, 223, 224 व 226 कुल किता 10 रकबा 6.85 हैक्टे० हनुमान पुत्र हरबक्ष की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। राजस्व भू–अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राजात दर्ज थे। यह कि हनुमान पुत्र हरबक्ष ने उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में दिनांक 3 अगस्त, 2009 को एक वसीयतनामा इस आशय का तहरीर किया कि उसके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि में उसके खातेदारी अधिकारों के उत्तराधिकारी चारों पुत्र महादेव, बाबूलाल, बनवारी व राजाराम [illegible] बराबर

होंगे और श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष ने उक्त वसीयतनामे को उप पंजीयक आमेर के समक्ष पंजीकृत करा दिया जिस वसीयतनामे को उप पंजीयक आमेर ने पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 10, पृष्ठ संख्या 34, क्रम संख्या 2009064000029 पर दिनांक 3–8–2009 को पंजीकृत कर लिया। हनुमान पुत्र हरबक्ष का दिनांक 11–10–2022 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् दिनांक 3–8–2009 को पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 महादेव, बाबूलाल, बनवारी व राजाराम ही हनुमान पुत्र हरबक्ष के एकमात्र उतराधिकारी होने के आधार पर खातेदार कृषक हुये और वे उक्त भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । कानाराम उर्फ कन्हैयालाल का भूमि विवादग्रस्त तथा हनुमान पुत्र हरबक्ष के परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध कभी नहीं रहा। मूंगी देवी नाम की किसी महिला से हनुमान पुत्र हरबक्ष का ना तो कोई विवाह अथवा नाता हुआ और ना ही कभी ऐसी किसी महिला को हनुमान पुत्र हरबक्ष ने अपने घर में रखा है अथवा उससे कोई संतान उत्पन्न की। कानाराम उर्फ कन्हैयालाल, श्री हनुमान पुत्र हरबक्ष का पुत्र नहीं है और उसका हनुमान पुत्र हरबक्ष के परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भूमि विवादग्रस्त पर अपने जीवनकाल में हनुमान पुत्र हरबक्ष ही तन्हा काबिज रहकर काश्त करता रहा और दिनांक 11–10–2022 को हनुमान पुत्र हरबक्ष का देहान्त हो जाने के पश्चात् उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही भूमि विवादग्रस्त के खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी कानाराम को भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार, कब्जा व दखल नहीं है। यह प्रार्थना पत्र उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को हैरान परेशान करने के उद्देश्य मात्र से प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड मूंगीदेवी गुर्जर पत्नी हनुमानसहाय, आपत्ति प्रार्थना पत्र, शोक संदेश मृतक हनुमान सहाय गुर्जर, मृत्यु प्रमाण पत्र मूंगी देवी की छायाप्रतियां पेश की, जमाबंदी, नक्शा, वोटर कार्ड आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रतियां पेश की है।

अप्रार्थी ने विक्रय पत्र मुंगी बेवा गंगाराम बहक रामचंन्द्र पुत्र लक्ष्मण, वसीयतनाम दिनांक 03.08.2009 महादेव, बाबुलाल, बनवारी व राजाराम की छायाप्रति पेश की।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से कथन रहा कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पिता की पैतृक भूमि है जिसमें सभी खातो में प्रार्थी का 1/11 हिस्सा निहित है। प्रार्थी पैतृक संपत्ति पर काबिज है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 आपस में भाई बहिन है जिनमें प्रार्थी की माता मूंगीदेवी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 की माता फूली देवी थी जबकि प्रार्थी और अप्रार्थी गण मृतक हनुमान सहाय गुर्जर के जाइंदा संतान हैं। यह कि यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मृतक हनुमानसहाय की प्रथम पुत्र संतान है प्रार्थी की माता मूंगीदेवी प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण के पिता हनुमानसहाय की द्वितीय पत्नी थी जिसकी मृत्यु 2017 में हुई थी प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हनुमानसहाय की प्रथम पत्नी फूली देवी के प्रारंभ में दो पुत्री संतानें हुई पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थी की माता मूंगीदेवी को समाज के पंच पटेलों के मध्य तथा सामाजिक रीति रिवाजों को देखते हुए चूडा पहनाकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया और आजीवन प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हनुमानसहाय की पत्नी बनकर रही जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता हनुमानसहाय के संसर्ग से प्रार्थी कानाराम उर्फ कन्हेयालाल का जन्म हुआ जो हनुमानसहाय की प्रथम पुत्र संतान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उनके द्वारा छोडी गई समस्त चल एव अचल सम्पतियों को हडप कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका की उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रार्थी अपने पिता स्व. हनुमान गुर्जर की जायन्दा संतान है तथा प्रार्थी का उसके पिता द्वारा छोडी गई उपरोक्त समस्त भूमियों में अविभाजित 1/11 हक एवं हिस्सा निहित चला आ रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने पिता स्व. हनुमान गुर्जर के स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित आराजी भूमियों में निहित अपने [illegible] हक एवं हिस्से उपरोक्त वर्णितानुसार का आदेश माननीय न्यायालय [illegible] एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी घोषित किया जाने का कानूनन अधिकारी

सहायक [illegible]
आमेर [illegible]

है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थी ने उक्त कथनो के समर्थन में 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड मूंगीदेवी गुर्जर पत्नी हनुमानसहाय, आपत्ति प्रार्थना पत्र, शोक संदेश मृतक हनुमान सहाय गुर्जर, मृत्यु प्रमाण पत्र मूंगी देवी की छायाप्रतियां पेश की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शोक संदेश मृतक हनुमान सहाय गुर्जर, मृत्यु प्रमाण पत्र मूंगी देवी, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड मूंगीदेवी गुर्जर पत्नी हनुमानसहाय मे प्रार्थी कानाराम उर्फ कन्हैयालाल को मृतक हनुमान सहाय गुर्जर का पुत्र अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे की कानाराम उर्फ कन्हैयालाल मृतक हनुमान सहाय गुर्जर का पुत्र नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत भूमि में घोषणा, विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है इसलिए प्रकरण मे गुणावगुण पर मूलवाद में निर्णय होने तक विवादग्रस्त आराजी के संरक्षण के लिए तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभयपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्य के [illegible] किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 को तारफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञ से पाबंद किया जाता है कि वे खाता संख्या 47 नया 44 पुराना में खसरा नम्बर 210 रकबा 0. 0300 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम–नारदपुरा, पटवार हल्का – खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील– आमेर, जिला– जयपुर व खाता संख्या 56 नया 51 पुराना में खसरा नम्बर 153 रकबा 0. 0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम–नारदपुरा, पटवार हल्का द खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील– आमेर, जिला – जयपुर व खाता संख्या [illegible] नया 46 पुराना में खसरा नम्बर 150 रकबा 0. 0700 हैक्टेयर, कुल किता [illegible]

रकबा 0.0700 हैक्टेयर वाके ग्राम नारदपुरा, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील – आमेर, जिला – जयपुर व खाता संख्या 162 नया 147 पुराना में खसरा नम्बर 149 रकबा 0. 0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0. 3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 रकबा 1. 1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 221 रकबा 0. 0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 2.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 2.2300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 1.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 1. 7100 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.85 हैक्टेयर, वाके ग्राम–नारदपुरा, पटवार क्षेत्र हल्का – खन्नीपुरा, भू.अ.नि. राधाकिशनपुरा, तहसील– आमेर, जिला जयपुर को अन्य व्यक्तियों को बेचान / स्थानान्तरित नही करे। अप्रार्थी संख्या 19, 20, 21 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर